9-3-21	... पत्रावली दिनांक 12-3-21 को पेश हो। (पीठासीन अधिकारी)
पेशी तारीख 12-3-21	पत्रावली पेश हुई. अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य .../... स्वीकार रखने से पत्रावली दिनांक 19-3 को पेश हो।
19-3-21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर अपील को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम गेगास पटवार हल्का गेगास तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं. 24 के आराजियात मे रीना पुत्री श्री रामकुंवार पारीक सहखातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070-2073 से होती है एंव ग्राम पंचायत भादू पं.स. माण्डल द्वारा विरासत का नामान्तरन इन्तकाल नम्बर 534 के जरिए अपीलार्थी का नाम सेहवन से सुनीता के बजाय अपीलार्थी का बोलता नाम रीना दर्ज कर दिया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो एंव अपील मे अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे रीना पुत्री श्री रामकुंवार पारीक के बजाय सुनीता पारीक पुत्री श्री रामकुंवार पारीक नाम अंकित करवाना चाहती है जिसकी ताईद प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ... की फोटो मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटो प्रति से होती है। उसी के अनुसार अपीलार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहती है, ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। प्रार्थिया की माता द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपील को स्वीकारने बाबत निवेदन किया।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया अपने अपील को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण अपीलार्थीया की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अत:

:: आदेश ::

अपीलार्थीया की अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भादू पं.से. माण्डल के नामान्तरणकरण संख्या 534 दिनांक 22.01.2007 में ग्राम गेगास परवार हल्का गेगास तहसील माण्डल में खाता सं. 24 में आराजी नं. 170, 193, 212, 297, 298, 299, 300, 461, 465 कुलकिता 09 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, एंव खाता सं. 25 मे आराजी नं. 459 रकबा 01 बिस्वा खाता सं. 26 में आराजी नं. 792/180 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे अपीलार्थीया का नाम रीना पुत्री श्री रामकुंवार पारीक के बजाय सुनीता पारीक पुत्री श्री रामकुंवार पारीक अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि अपीलार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested